

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(स्थापना-शाखा)

रविन्द्र कुमार, बि०शि० से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं०: 8544412079
हाजीपुर, वैशाली: 844102
E-mail: deovaishali.edn@gmail.com,
deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक- 2431.....

सेवा में,

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,
जिला- वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक- 07/10/2026

विषय:- Civil Appeal No (s)...../2026, अब्दुल बाकी अंसारी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (SLP(c) No-25298/2023 से उद्भूत) तथा SLP(c) No 10872-10898/2024 तंजीम रेजा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य एवं साथ ही संबद्ध वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-28.07.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा का पत्रांक-2853, दिनांक-01.10.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के प्रासंगिक पत्र के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विषयांकित मामले में पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत की गई है। उक्त पत्र के आलोक में दिनांक 31.03.2015 तक /के पूर्व नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं दिनांक-31.03.2015 के उपरांत नियुक्त प्रारंभिक अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में वस्तुस्थिति एवं दिशा-निर्देश निर्गत की गई है, जो निम्नरूपेण हैं :-

(क) दिनांक-31.03.2015 के पूर्व नियुक्त सभी अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक दिनांक-31.08.2028 तक अनिवार्य रूप से D.El.Ed. की अर्हता प्राप्त करेंगे। माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि दिनांक-31.08.2028 के पश्चात् समय विस्तार (Extension) हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र / याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) दिनांक-31.03.2015 के पश्चात् नियुक्त किये गये अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति अवैध मानते हुए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी उनकी नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक, जिन्हें LPA No.-748/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-20.03.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में सेवा बर्खास्त की गयी थी, उन्हें पुनः सेवा में पुनर्नियुक्त करने की कार्यवाई संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे।

उपरोक्त के आलोक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक-12.10.2026 तक निम्नलिखित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कार्यालय को अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1. **प्रपत्र-1** में वैसे सभी अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों का विवरण शामिल किया जाएगा जो दिनांक-31.03.2015 तक या उससे पूर्व नियुक्त हुए हैं तथा वर्तमान में अप्रशिक्षित हैं, लेकिन विद्यालय में कार्यरत हैं।

2. **प्रपत्र-2** इस प्रतिवेदन में LPA No.-748/2022 में दिनांक 20.03.2024 को पारित आदेश के आलोक में बर्खास्त किए गए, विद्यालय उपस्थिति पर रोके गए अथवा वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे शिक्षकों की सूची अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।

3. **प्रपत्र-3** में दिनांक 31.03.2015 के बाद नियुक्ति के समय अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों जो वर्तमान में स्थानीय निकाय शिक्षक / विशिष्ट शिक्षक / प्रधान शिक्षक / नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत की सूचना उपलब्ध

करायेंगे। विदित हो कि दिनांक-31.03.2015 के उपरांत नियुक्ति के समय अप्रशिक्षित शिक्षक, जो वर्तमान में प्रशिक्षित भी हो, तब भी उनका नाम इस प्रपत्र में सम्मिलित करेंगे।

उपरोक्त तीनों प्रपत्र के संबंध में संबंधित विद्यालय प्रधान का दायित्व होगा कि प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3 की एक प्रति 02 दिनों के अंदर सीधे स्थापना शाखा को तथा एक प्रति संबंधित प्रखंड शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्राप्त तीनों प्रपत्रों (प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3) को समेकित करते हुए गहनता से जाँच कर अपने अग्रसारण पत्र के साथ जिला कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी विद्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय स्तर से वांछित सूचना छिपाने का प्रयास किया जाता है या अपूर्ण प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है, तो इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक, विद्यालय प्रधान / प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी / कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बाध्यता होगी। यदि किसी प्रखंड में ऐसे कोई शिक्षक नहीं हैं तो तीनों प्रपत्र में शून्य प्रतिवेदन देंगे।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

वैशाली।
07/10/26

ज्ञापांक:- 2431

हाजीपुर, दिनांक:- 07/10/2026

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित शिक्षक एवं विद्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित चिन्हित मध्य विद्यालय के प्र०अ० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

वैशाली।
07/10/26

प्रपत्र-1

(दिनांक-31.03.2015 के पूर्व नियुक्त एवं वर्तमान में अप्रशिक्षित शिक्षक जो अद्यतन कार्यरत हैं)

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	शिक्षक कोटि (स्थानीय निकाय / नियमित)	वर्ग (1-5, 6-8) विषय	वर्तमान विद्यालय	प्रखंड	नियुक्ति पत्र का पत्रांक / दिनांक	विद्यालय में प्रथम योगदान तिथि	नियोक्ता / नियोजन इकाई का नाम	अंतिम वेतन किस माह तक प्राप्त है।	न्यायालय / प्राधिकार का आदेश का विवरण (यदि लागू हो)	अभ्युक्ति
1											
2											
3											
4											
5											
6											

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण में सभी संबंधित शिक्षक का नाम सम्मिलित है, किसी शिक्षक का नाम छुटा नहीं है।

नोट :- उक्त प्रतिवेदन के साथ सम्पूर्ण सेवापुस्त, नियुक्ति पत्र, शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा प्राधिकार / न्यायालयीय आदेश, अंतिम माह के वेतन प्राप्ति का अभिप्रमाणित / सत्यापित एवं स्वच्छ छायाप्रति अवश्य संलग्न करेंगे।
जो लागू न हो काट दें अथवा N/A लिख दें।

पत्रांक

दिनांक

विद्यालय प्रधान / प्रधानाध्यापक /

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

नाम-.....

प्रपत्र-II

(दिनांक-31.03.2015 के पूर्व नियुक्त एवं वर्तमान में अप्रशिक्षित शिक्षक जो अद्यतन कार्यरत नहीं है)

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	शिक्षक कोटि (स्थानीय निकाय / नियमित)	वर्ग (1-5, 6-8) विषय	वर्तमान विद्यालय	प्रखंड	नियुक्ति पत्र का पत्रांक / दिनांक	विद्यालय में प्रथम योगदान तिथि	नियुक्ता / नियोजन इकाई का नाम	अंतिम वेतन किस माह तक प्राप्त है।	अद्यतन सेवा स्थिति (सेवामुक्त / कार्य पर रोक) एवं किस तिथि से	न्यायालय / प्राधिकार का आदेश का विवरण (यदि लागू हो)	अभ्युक्ति
1												
2												
3												
4												
5												
6												

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण में सभी संबंधित शिक्षक का नाम सम्मिलित है, किसी शिक्षक का नाम छुटा नहीं है।

नोट :- उक्त प्रतिवेदन के साथ सम्पूर्ण सेवापुस्त, नियुक्ति पत्र, शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा प्राधिकार / न्यायालयीय आदेश, अंतिम माह के वेतन प्राप्ति का अभिप्रमाणित / सत्यापित एवं स्वच्छ छायाप्रति अवश्य संलग्न करेंगे।
जो लागू न हो काट दें अथवा N/A लिख दें।

पत्रांक

दिनांक

विद्यालय प्रधान / प्रधानाध्यापक /

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

नाम-.....

प्रपत्र-III

(दिनांक-31.03.2015 के बाद नियुक्ति के समय अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्त शिक्षकों का विवरण)

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	शिक्षक कोटि (स्थानीय निकाय / विशिष्ट / प्रधान शिक्षक / नियमित)	वर्ग (1-5, 6-8) विषय	वर्तमान विद्यालय	प्रखंड	नियुक्ति पत्र का पत्रांक / दिनांक	विद्यालय में प्रथम योगदान तिथि	प्रशिक्षण का प्रकार एवं उत्तीर्णता तिथि	नियोजन इकाई का नाम	न्यायालय / प्राधिकार का आदेश का विवरण (यदि लागू हो)	अभ्युक्ति
1											
2											
3											
4											
5											
6											

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण में सभी संबंधित शिक्षक का नाम सम्मिलित है, किसी शिक्षक का नाम छुटा नहीं है।

नोट :- उक्त प्रतिवेदन के साथ सम्पूर्ण सेवापुस्त, नियुक्ति पत्र, शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा प्राधिकार / न्यायालय आदेश का अभिप्रमाणित / सत्यापित एवं स्वच्छ छायाप्रति अवश्य संलग्न करेंगे। जो लागू न हो काट दें अथवा N/A लिख दें।

पत्रांक

दिनांक

विद्यालय प्रधान / प्रधानाध्यापक /

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

नाम-.....